राजस्थान विधान सभा

षष्ठम् सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 17 मार्च, 2011

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ग्राम कुडली (शिवसिंहपुरा, सीकर) में आवासीय योजना हेतु अवाप्त भूमि में से कुछ भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचनायें

(1) श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-159 दिनांक 15.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-160 दिनांक 15.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-161 दिनांक 15.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-III में संशोधन किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-162 दिनांक 15.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-163 दिनांक 15.3.2011 जिसके द्वारा हस्तनिर्मित गलीचों के विनिर्माताओं द्वारा राज्य में हस्तनिर्मित गलीचों के विनिर्माण में प्रयुक्त समस्त प्रकार के धागे के क्रय को सशर्त छूट प्रदान की गई है; एवं
6. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-164 दिनांक 15.3.2011 जिसके द्वारा पंजीकृत टैन्ट व्यवहारियों के लिये कम्पोजिशन स्कीम, 2011 अधिसूचित की गई है।

पंचायती राज विभाग

(2) श्री भरत सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.(7)संशो/नियम/विधि/पंरा/2010/450 दिनांक 15.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

(3) श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, कृषि विपणन राज्यमंत्री, कृषि विपणन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

कृषि विपणन विभाग

1. अधिसूचना संख्या: प.4(50)कृषि/ग्रुप-2/97 दिनांक 20.5.2010 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: प.15(36)कृषि/ग्रुप-2/92-पार्ट दिनांक 27.5.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मण्डी कर्मचारी कल्याण निधि नियम, 1993 में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: प.15(24)कृषि/ग्रुप-2/85-पार्ट दिनांक 22.6.2010 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या:प.4(9)कृषि/ग्रुप-2/09/(नीति-2010) दिनांक 9.7.2010 जिसके द्वारा कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010 के अन्तर्गत कृषि प्रसंस्करण उद्यमों को मण्डी शुल्क से मुक्त किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या:प.4(9)कृषि/ग्रुप-2/09/(नीति-2010) दिनांक 9.7.2010 जिसके द्वारा कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010 के अन्तर्गत कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय उद्यमों को मण्डी शुल्क उदग्रहण से मुक्त किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या:प.4(36)कृषि/ग्रुप-2/2003-पार्ट दिनांक 28.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 के अन्तर्गत स्थापित इकाइयों के आधुनिकीकरण/विस्तार/विविधिकरण के लिये किये गये निवेश पर मण्डी शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है;
7. अधिसूचना संख्या:प.4(36)कृषि/ग्रुप-2/2003-पार्ट दिनांक 28.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 के तहत स्थापित इकाइयों को आधुनिकीकरण/ विस्तार/विविधिकरण एवं रूग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन प्रोत्साहन हेतु किये गये निवेश पर मण्डी शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है;
8. अधिसूचना संख्या:प.1(19-सी)डीएएम/रेग्युलेशन/2005 दिनांक 19.1.2011 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;
9. अधिसूचना संख्या:प.1(19-सी)डीएएम/रेग्युलेशन/2005 दिनांक 23.2.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:प.1(19-सी)डीएएम/रेग्युलेशन/2005 दिनांक 19.1.2011 में संशोधन किया गया है;

10. अधिसूचना संख्या:प.7(32)कृषि-ग्रुप-2/90 दिनांक 24.2.2011 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;
11. अधिसूचना संख्या:प.4(22)कृषि-ग्रुप-2/2008 दिनांक 25.2.2011 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;
12. अधिसूचना संख्या:प.4(22)कृषि/ग्रुप-2/2008 दिनांक 25.2.2011 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है; एवं
13. अधिसूचना संख्या:प.4(22)कृषि/ग्रुप-2/2008 दिनांक 1.3.2011 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2011 में संशोधन किया गया है;

4. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

''यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें

प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।''

5. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(1) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति, महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी :-

1- जयपुर स्थित विभिन्न थानों में स्थापित महिला डेस्क के आकस्मिक निरीक्षण से संबंधित महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का 19वां प्रतिवेदन;

2- बाल भारती विशिष्ट मॉन्टेसरी स्कूल, गंगाशहर रोड़, बीकानेर में प्रशासक नियुक्त करने तथा निवासी कोकापुर, पुलिस थाना-सागवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में अपराधियों से सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने से संबंधित महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का 20वां प्रतिवेदन;

(2) श्री शंकरलाल अहारी, सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2010-2011 अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति 2007-2008 (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट राज्य के भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली एवं दौसा जिलों के दिनांक 2.2.2006 से 7.2.2006 तक तत्स्थानीय अध्ययन दौरे के संबंध में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति के परिपालनात्मक पॉचवे प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

6. याचिकाओं का उपस्थापन

(1) श्री पवन दुग्गल, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

I- कच्ची बस्ती घड़साना-रावला को मण्डी विकास समिति, बीकानेर से लेकर ग्राम पंचायत को देने बाबत्;

II- रावला व नाहरावाली को उप-तहसील बनाने बाबत्; एवं

III - घड़साना-नाहरावाली में बालिका विद्यालय क्रमोन्नत व नया खोलने बाबत् ।

(2) श्री बाबूलाल खराड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-

I- विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम बाता से रेल्वे स्टेशन बाता के बीच 3 किलोमीटर की सड़क का डामरीकरण करने बाबत्; एवं

II- ग्राम भगवानपुरा, ग्राम पंचायत इन्दरा चारणा एवं रायपुरीया ग्राम पंचायत वणदार में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने बाबत्।

(3) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य विधान सभा, विधान सभा नगर, ग्राम धौलाई, जयपुर के समस्त निवासियों हेतु पत्रकार कॉलोनी में सप्लाई किये जा रहे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से पीने का पानी उपलब्ध कराने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(4) श्री जगसीराम, सदस्य विधान सभा साम्बरिया, भीलों की ढाणी, गुडा किरीयात व ओड़ा एवं गुडविवदा सोलकियान, कोटकी ढाणी, ग्राम पंचायत कोटसोलकियान के सातों गॉवों में बिजली पहुँचाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(5) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य विधान सभा कनवाड़ा गणेशजी से ग्राम सांखली तक डामर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करवाये जाने हेतु स्वीकृत राशि में बढ़ोतरी किये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

7. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-2012

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

क्र.सं.	मांग संख्या
1.	37 - कृषि
2.	39 - पशुपालन एवं चिकित्सा (डेयरी)
3.	32 – नागरिक आपूर्ति

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे।)

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 16 मार्च, 2011